

भारत में अंगदान की कमी से जा रही लोगों की जान

अतिम फैसला तो जनता के हाथ में
सर्वोच्च अदालत ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी के समय को लेकर प्रवर्तन नेशनल (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब आया। अदालत ने पांच सवाल पछे और उनके जवाब लेकर आने के नंदेश दिया। दो सदस्यीय बैच ने कहा कि स्वर्तनता बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी सवाल गिरफतारी के संबंध में है। न्यायिक कायवाही के बिना, जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकते हैं। अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। क्या हमत्वपूर्ण है? अधिकारी सवाल गिरफतारी के संबंध में है। न्यायिक कायवाही के बारे में योग्यता है, उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों। केजरीवाल 21 अप्रैल से शाराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल इस गिरफतारी से पहले इसी सार्वजनिक तौर पर कई मर्मतावाक दोहरा चुके थे कि मोदी सरकार के अध्यक्ष नीति घोटाले के नेता पहले ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि आम आदर्म सरकार के नेता पहले ही जेल में हैं। सत्ताधारी दल की यह जिम्मेदारी है कि वह अच्युत पिंकी दलों के साथ पूर्वांग भरा बर्ताव करने से बचे। दंड प्रक्रिया संहित दलों के अध्यक्ष 5 में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी गिरफतारी इसके अधीन हर्दृष्ट होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी गिरफतारी और हिरासत को अवैध घोषित करता रहे हैं। यह कहना गलत नहीं है कि चुनाव के दरम्यान लगातार गिरफतारियां हो रही हैं तथा नोटिस भी थमाए जा रहे हैं या छापे तक दाले जा रहे हैं। दरअसल, केजरीवाल की गिरफतारी की टाइमिंग नोटांकीक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती बेशक न्यायिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सार्वजनिक जीवन में उन्हें वाला कोई भी राजनीतिज्ञ यदि किसी तरह के घोटाले में शामिल हो तो उसे दिङ्डित करने के लिए अदालतें हैं। अदालतोंपर पहले ही नोबत मामलों का दबाव है उस पर मोदी सरकार लगातार आरोपियों को भाजपा में शामिल कर उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर सम्पूर्ण कंपेट दे रही है। यह अपने आप में गलत संदेश दे रहा है। बाबजुल दसके अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है, जो मूकदर्शक जरूर है। तो किन अपना निर्णय समय आने पर देगी।

ਪੁਨਾਵ ਮਿ ਧੂਵਾਕਣ

सिलम आरक्ष

रन्द्र मादा सहित पूरा भाजा कांग्रेस पर आरोप लगा रहा है कि वह अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अरक्षण हटाकर मुसलमान को देना चाहती है कांग्रेस सहित समूचा विषय और भाजपा वरोधी कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा देश में हिन्दू मुसलम के नाम पर चुनाव में ध्वनीकरण चाहते हैं, जो सरेआम सांप्रदायिककरण है अगर चुनाव में किसी संप्रदाय पर हमला किया जाए या उसके विशुद्ध दूसरे संप्रदाय को भड़काया जाए तो यह सांप्रदायिकता की श्रेणी में आएगा और इसके लिए चुनाव कानून ही नहीं सामान्य कानूनों में भी मुकदमा चलाने तथा सजा देने का प्रवधान है प्रश्न है कि क्या प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया उसे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का बहुयंत्र मान लिया जाए या उसके पीछे तथ्य भी हैं? कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रधानमंत्री पर हमले कर रहे हैं किंतु यह कहने को तैयार

1



डा सत्यवान सार
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

इंतजार कर रहे हैं और देश में दाताओं की संख्या में बढ़िया मांग के अनुरूप नहीं है; विशेषज्ञों का कहना है कि देश को तकाल मृतक दान दर बढ़ाने की जरूरत है, और आईसीयू डॉक्टरों और परिवारों के बीच इस बारे में अधिक जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे एक मृतक दानकर्ता कई जिंदगियां बचा सकता है। तीन लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची और अंग के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की मृत्यु के साथ, भारत में अंग दान की कमी, विशेष रूप से मृतक दान, भारी नुकसान उठा रही है। भारत में मृतक अंगदान की दर पिछले एक दशक से प्रति दस लाख की आबादी पर एक दाता से कम रही है।

भारत को इसे प्रति मिलियन जनसंख्या पर 65 दान तक बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना होगा। देश में लगभग 600 मेडिकल कॉलेज और साल उनसे एक-एक दान भी फ़िक्कर हम बेहतर स्थिति में रहेंगे लैंगिक भर्म में भी, अंगों की आवश्यकता केवल 10% रोगियों को ही संबोधित करती है। अंग मिल पाते हैं। स्पेन और अमेरिका में बेहतर अंग दान प्रणाली है प्रति मिलियन 30-50 दान दर है। मरीजों के परिवारों को आवश्यक और दान करने में मदद करते हुए ट्रॉमा और आईसीयू डॉक्टरों प्रशिक्षित करना समय को मांगता है। संभावित मामलों की उपलब्धता बावजूद, भारत में अंग दान विवरण दर मास्टिष्क मृत्यु या मास्टिष्क मृत्यु मामलों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया और प्रमाणीकरण के कारण नहीं है। अंगदान के मामले में देश की वार्षिक औसत अब भी प्रति दस लोगों पर एक से भी कम दाता सड़क परिवहन के आंकड़े मुताबिक भारत में हर साल, 150, 000 लोग सड़कों पर मरते हैं। इसका मतलब औसतन हर सड़कों पर 1000 से ज्यादा दुर्घटना

ले तो दुनिया वाले य पर अरिका जहां नी दर आने ने के रोंगों को , कई ता के कम स्टेम इचान रही गा का लाख इ। ऊं के करीब जाते रोज टनाएं तोड़ देते हैं। अंग दान में मृत डोनर के अंगों - जैसे हृदय, यकृत (लिवर), गुर्दे (किंडनी), आंतें, अंखें, फेफड़े और अग्न्याशय (पैनिक्रियाज) को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसे जीवित रहने के लिए उनकी जरूरत है। एक मृत डोनर, जिसे कैडेवर भी कहा जाता है, इस तरह नौ लोगों की जान बचा सकता है। हालांकि हेल्थ प्रोफेशनल आमतौर पर अंगदान के विषय पर मृतक के परिजनों से बात करने में अटपटा महसूस करते हैं। डॉक्टर मृतक के अंगों को दान देने के बारे में पूछने से कठराते हैं। कोई इस बारे में प्रोत्साहन भी नहीं है और बदले की कार्रवाई का डर भी रहता है। जनता अनिच्छुक और अविश्वासी है क्योंकि वे मास्टिष्क मृत्यु, अंग दान के विचार या इसके फायदों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के बारे में सांस्कृतिक रीति-रिवाज सहमति में बाधा डाल सकते हैं, और कुछ धार्मिक मान्यताएँ, अंग

जाती हैं, जिससे पैसे वाले लोगों के लिए इसकी संभावना अधिक हो जाती है। जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्राप्त करें। डायलिसिस और अन्य सहायक देखभाल उन कई संसाधनों में से हैं जिन पर अतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगियों के प्रबंधन के कार्य द्वारा भारी कर लगाया जाता है। सभी बातों पर विचार करने पर, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निम्न अंगदान दरों से बहुत प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप टाली जा सकने वाली मौर्छे, अनैतिक व्यवहार और जीवन रक्षक देखभाल तक असमान पहुंच होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को अंग प्रत्यारोपण तक उचित पहुंच मिले, इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जिसमें नैतिक विचार, कानूनी सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और सार्वजनिक शिक्षा शामिल है। एक मृत अंग दाता आठ लोगों की जान बचा सकता है। दान की गई दो उपचार से मुक्त कर सकती हैं। दान किए गए एक लीवर को प्रतीक्षा सूची के दो रोगियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। दो दान किए गए फेफड़ों का मतलब है कि दो अन्य रोगियों को दूसरा मौका दिया गया है, और एक दान किए गए अग्न्याशय और दान किए गए हृदय का मतलब दो और रोगियों को जीवन का उपहार प्राप्त करना है। एक ऊतक दाता - कोई व्यक्ति जो हड्डी, टेंडन, उपस्थिति, संयोजी ऊतक, त्वचा, कॉर्निया, श्वेतपटल, और हृदय वाल्व और वाहिकाओं को दान कर सकता है। 75 लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत में अंग दान की प्रतिज्ञा को वास्तविक दान में तब्दील करने की जरूरत है और इसके लिए मेडिकल स्टाफ को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें मस्तिष्क मृत्यु और अंग दान के महत्व के बारे में परिवारों को पहचानने, पहचानने, सूचित करने और परामर्श देने में सक्षम होना चाहिए।

સફ્રાયિટ વ બડ્યત્રકાઈ ધૂનાવા વનરા અત્યત ઘિતનાય

दलों को अल्पसंख्यक परस्त व मुसीरलम तुटीकरण करने वाले दलों के रूप में पूरे जार शार से प्रचारित कर रही है। अपने इन्हाँ अनैतिक भाष्यान में वह वर्तमान चुनावी बोला में सार्वजनिक भाष्यों से जिन शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है वह भारतीय राजनीति के इतिहास का अब तक का सबसे गिरा व निम्नस्तरीय चुनाव अभियान है। यह इस बात का भी परिचयादाता है कि अबकी बार चार सौ पार का हवाई नारा देने वाली भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उनकी विधिटनकारी मंसूबों को समझ चुकी है। और 400 पार की बात तो दूर इस बार तो उनकी सत्ता में वापसी पर भी प्रगत चिन्ह लग चुका है। गोरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या रित्थ विवादित मंदिर मस्जिद मुकदमे का निर्णय सुना गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करने को कहा गया। यहाँ यह भी कवित-ए-गोरतलब है कि मंदिर-मस्जिद अदालती वाद परिवाद में मुहूर्झ के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था न विश्व हिन्दू परिषद न भाजपा। परन्तु केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार होने के नाते बड़ी ही चुतराई से ट्रस्ट के गठन से लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन तक के इस पूरे प्रकरण का भाजपा द्वारा निजीकरण कर लिया गया।



निर्मल रानी

लेखक वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं

गत चार दशकों से भारतीय जनता पार्टी भगवान् राम के नाम पर राजनीति कर स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करती रही है। आखिरकार धार्मिक धृतिवाकरण व राम मंदिर की राजनीति ने उसे केंद्रीय सत्ता में आने में मदद की और यह भाजपा का लोकप्रिय मुद्दा बन गया। अब वही भाजपा इससे भी दो कदम आगे बढ़कर जहाँ सर्वव्यापी मयार्द मुरुषोत्तम भगवान् राम को अपना निजी ह्यभगवान्हल समझने लगी है वहाँ अपने विरोधी दलों को राम विरोधी तो राम द्वारा आदि प्रचारित कर रही है। इसी दल की एक सांसद यहाँ तक कह चुकी है कि जो हमारे साथ हैं वह राजमार्जे हैं और जो खिलाफ हैं वह हराम जादे हैं। इसके साथ ही स्वयं बहुसंख्यक वाद की राजनीति करने वाली यही भाजपा अपने विरोधी दलों को अल्पसंख्यक परस्त व मुस्लिम तृष्णीकरण करने वाले दलों के रूप में पूरे जोर शोर से प्रचारित कर रही है। अपने इस ह्यअनैतिकहृत स्वयं संवर्जनिक मंचों से जिन शब्दों वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है व भारतीय राजनीति के इतिहास का अतिकाल का सबसे गिरा व निम्नस्तरीय चुनाव अभियान है। यह इस बाकी का भी परिचायक है कि अबकी बात चार सौ पार का हवाई नारा देने वाले भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उनके विघटनकारी मंसूबों को समझ चुकी है। और 40 पार की बात तो दूर इस बार तो उनके सत्ता में वापसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित मंदिर मस्जिद मुकदमा का निर्णय सुनाया गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करने को कहा गया। यह यह भी काबिल-ए-गौर है कि मंदिर मस्जिद अदालती वाद परिवाद में मुद्दा के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं संवर्जन संघ था न विश्व हिन्दू परिषद् न है।

भाजपा। परन्तु केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार होने के बादी ही चतुराई से ट्रस्ट के गठन लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन तक के इस पूरे प्रकरण का भाजपा द्वारा निजीकरण कर लिया गया। यहाँ तक कि 22 जनवरी 2024 को हुये मर्मांतर उद्घाटन के दौरान इसके प्राण प्रति के धार्मिक विधि विधान सम्बन्धी तरीकों व समय को लेकर देश के चंशकाराचार्यों सहित तमाम संतों महाद्वारा इसका कितना तार्किक विरोध किया गया। परन्तु उन सब की अनुसन्धान कर दी गयी। और मंदिर ट्रस्ट से लेकर इसके उद्घाटन तक को पूर्णतः भाजपा इवंते के रूप में पेश किया गया। अब उसी आधार पर यह कहकर वंशमाँगा जा रहा है कि हजारों राम को लाने हैं हम उनको लाएंगे। देश के चंशकाराचार्य ही नहीं बल्कि हजारों वरिष्ठ संतों ने तथा भाजपा विरोधी दलों ने यह बखूबी समर्पित लिया था कि ट्रस्ट गठन से लेकर

प्राणप्रतिष्ठा तक का पूरा कार्यक्रम पूरी तरह राजनैतिक व अनैतिक है। इसी लिये जहां शंकराचार्यों ने इस आयोजन में शिरकत नहीं की वहाँ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी 22 जनवरी के इस ह्याराजनैतिक आयोजनहूँ से दूरी बनाये रखी। इतना ही नहीं बल्कि कई प्रमुख केंद्रीय मंत्री व भाजपाई मुख्यमंत्री भी अभी तक अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर दर्शन करने नहीं गए हैं। परन्तु भाजपा के निशाने पर केवल कांग्रेस व इडिया गठबंधन के नेता हैं। भाजपा इसे लेकर ऐसे ऐसे दुश्ख्यचार कर रही है ताकि वह किसी तरह कांग्रेस व इडिया गठबंधन के अन्य दलों व उनके नेताओं को राम विरोधी साबित कर सके। अफसोस की बात तो यह है कि कल के धर्मनिर्धारणावादी जो आज भगवा रंग में रंग रहे हैं उनसे भी भाजपा यही कहलवा रही है कि कांग्रेस राम विरोधी है। और कांग्रेस अयोध्या मंदिर दर्शन करने का विरोध करती है।

जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट अयोध्या दर्शन करने जा चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राम मंदिर जा चुके। सांसद दीपेंद्र हुडा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेसे तमाम कांग्रेस नेता 22 जनवरी के बाद अयोध्या जा चुके हैं। परन्तु कांग्रेस आला कमान ने किसी नेता से इस विषय पर कोई सवाल नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस शुरू से यही मानती आ रही है कि धर्म व धर्म पालना किसी भी व्यक्ति का आस्था सम्बन्धी अत्यंत निजी विषय है। इसकी पालना करने या न करने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है। कांग्रेस ने न तो कभी राम के नाम पर वोट माँगा न ही राम के विरोध के नाम पर। परन्तु दुश्ख्यचार की इतेहा यह कि नरेंद्र मोदी स्वयं यह कह रहे हैं कि मैं ह्यालोकासभा चुनाव में 400 सीट इसलिए जीतना चाहता हूँ कि ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कांग्रेस की चली तो कांग्रेस कहेगी कि भारत में जीने का पहला हक भी उसके बोट बैंक (मुसलमानों) का है। लेकिन जब तक मोदी जिंदा है, नकली सेक्युरिटीज के नाम पर भारत की पहचान मिटाने की कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं होने देगा, और ये हजारों वर्ष पुराने भारत को, उसकी इस संतान की गारंटी है। लॉ देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ यह वाक्यविपक्षी दलों के लिये कितनी कुंठा से भरा व हताशा से परिष्पृष्ठ प्रतीत होता है? आज देश मंहगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में आ रही अभूतपूर्व गिरावट, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (पीएसयू) के चंद निजी हाथों में सौंप जान जैसे अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों से जूझ रहा है। परन्तु सरकार के पास इनका न तो कोई जवाब है न ही इनके समाधान की कोई नीति। 2019 का चुनाव इसी मोदी सरकार ने मुफ्त राशन पाने वाले

से शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए कई स्तर पर शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। में 2011 की जनगणना के अनुसार के साथ साथ खेती के काम में भी पुरुषों गांव में 8वीं तक जो सरकारी विद्यालय गोजनांगा और पांच की गांव बच्चों के लिए अभी भी डमपरे देश में कहीं प्रेमो गांवीं कल मध्यमता की तर 19 परिवार में भी का हाथ लगती हैं गांव में एकी मटक्क मजलिन हैं उनमें भी मरियाँ और कुछ सेह

हाल ही में आ

मन तो नहीं तोरा पाया। बच्चा का हाथ स्कूल तक पहुंच की आसान बनाने पर जोर दिया गया, रायके के बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आये इसके लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई, किताब-कॉपीयां और स्कूल डेस मुफ्त उपलब्ध कराये जाने लगे, सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा। आजादी के बाद 1951 की पहली जनगणना में जहां देश में साक्षरता की कुल दर महज 18.33 प्रतिशत थी वहीं 60 वर्षों बाद 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई। लेकिन इस सुखद आंकड़ों के साथ सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि अभी भी किशोरियों विशेषकर दूर दराजे पर रहे। यह अभी भी जनसंख्या 300 के असपास कर्मजों ने भारत पर नई दृष्टि दी। मन क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की साक्षरता बेहद कम है। जहां मुश्किल से लड़कियां 12वें तक भी शिक्षा प्राप्त करती हैं ऐसा ही एक गांव राजस्थान के अलावा जिला स्थित शादीपुर है। जहां आज महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई आंकड़े को भी पार नहीं कर सका। इस गंव में बलिका शिक्षा के प्रति जनसमाज में दूसरीनाता है वहीं शिक्षा क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भी तोड़ती नजर आती हैं। अलवर जिला करीब 67 किमी और तिजारा तहसील लगभग 20 किमी की दूरी पर आबाद गंव की जनसंख्या 300 के असपास कर्मजों में महिलाओं की जनसंख्या कर्मजों

कुरुते लोकान् तपादा का दूर ४८ प्रतिशत से ज्ञान कम है। पुरुषों में ज्ञान साक्षरता की दर कीरीब ३५ प्रतिशत है वहीं महिलाओं में यहां साक्षरता की दर पांच प्रतिशत से भी कम है।

जो न केवल स्थिति का विषय है बल्कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हमारे आंकड़ों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। इतना ही नहीं गांव में न तो कोई पंचायत घर है, न आंगनबाड़ी और न ही सर्वजनिक शौचालय की कोई सुविधा उपलब्ध है। गांव वालों के रोजगार का मुख्य साधन पशुपालन, दैनिक मजदूरी, थेसर मशीन चलाना, टक डाइवर का काम करना और कछा का हाथ बढ़ावा देना-नाम न पक्षण स्कूल का अभाव होने के कारण आवागमन की सुविधा भी सुलभ नहीं है। गांव में बालिका शिक्षा को चिताजनक स्थिति के बारे में ३५ वर्षीय अब्जास बताते हैं कि गांव में केवल ४८% तक ही स्कूल है। इससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को १० किमी दूर अन्य गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन आवागमन की सुविधाओं का अभाव, लड़कियों के साथ होने वाले छेड़छाड़ का डर और बालिका शिक्षा के प्रति समाज की सीमित सोच के कारण अधिभावक लड़कियों को इतनी दूर भेजने से इंकार कर देते हैं। जिससे चाह कर भी कोई लड़की से पाठाना हुआ ना तुकड़ाजार का बार अभाव है। प्रधानाध्यापक सहित केवल ४ सिक्षकों के भरभरे से यह पूरा स्कूल चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्कूल में न तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था है और न ही छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय की उचित व्यवस्था है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक छात्रा की मां बताती है कि उनकी बेटी कई बार स्कूल में सुविधाओं की कमी की शिकायत कर चुकी है। लेकिन वह आर्थिक रूप से इतनी सशक्त नहीं है कि अपनी बेटी का एडमिशन गांव से बाहर या किसी निजी शिक्षण संस्थान में करा सके। वह बताती है कि स्कूल में कोई महिला शिक्षिका के नहीं होने से

